नगर विकास योजना का मूल्यांकन
कोहिमा

जुलाई 2006

राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान
कोर 4 बी, भारत पर्यावास केन्द्र
लोदी रोड़, नई दिल्ली - 110003

किसी प्रकार की शंका होने पर कृपया सुश्री पारोमिता दत्ता डे से ई मेल से सम्पर्क करें (email:pdey@niua.org)

नगर विकास योजना का मूल्यांकनः कोहिमा

कोहिमा की नगर विकास योजना (सी.डी.पी.) एक समग्र पूर्ण दस्तावेज है। वर्तमान स्थिति के आधार आंकड़े भलीभाँति प्रस्तुत किए गये हैं और उनका सही-सही विश्लेषण हुआ है। जहां पूरक आंकड़े नहीं हैं, वहां उनकी भरपाई एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्तपोषित पूर्वोत्तर क्षेत्र शहरी विकास परियोजना (एन.ई.आर.यू.डी.पी.) के भागस्वरूप कोहिमा योजना क्षेत्र के एक हजार परिवारों के सामाजिक-आर्थिक सर्वे के निष्कर्षों से की गई है। कार्यनीति की झलक तार्किक आधार पर है। सी.डी.पी. से जाहिर होता है कि हितबद्ध पक्षों के साथ व्यापक विचार विमर्श किया गया है तथा मौजूदा समस्याओं को समझने और संकल्पना निर्धारण के लिए उनके सरोकारों और सुझावों को गणना में लिया गया है।

कोहिमा नगालैंड का प्रशासनिक केन्द्र रहा है। वहां की 54.5% आबादी विभिन्न सरकारी नौकरियों में है तथा 17.5% लोग अपना निजी कारोबार और दुकान चलाते हैं। शेष आबादी कृषि कर्म एवं परम्परागत दस्तकारी का काम करती है तथा कुछ मजदूरी पर कार्य करती है। 24% आबादी गरीबी रेखा से नीचे है। इसमें से 45% गरीबी रेखा से नीचे के लोग भाड़े पर और दिहाड़ी पर मजदूरी करते हैं ।

वर्तमान स्थिति

सामाजिक और जनांकिकी प्रोफाइलः इस प्रोफाइल का काफी विस्तार में वर्णन किया गया है। सी.डी.पी. का सृजन वृहत्तर कोहिमा योजना क्षेत्र (जी.के.पी.ए.) के लिए किया गया है, जिसका क्षेत्रफल 63.36 वर्ग किलोमीटर है और उसमें कोहिमा नगर परिषद् (के.एम.सी.) शामिल है, जिसका क्षेत्रफल 10.98 वर्ग किलोमीटर है तथा शेष योजनागत क्षेत्र है। इस क्षेत्र के घटकों का उल्लेख सी.डी.पी. की तालिका 3.1 में है। वर्ष 2001 में कोहिमा नगर परिषद् (के.एम.सी.) की कुल आबादी 0.77 लाख और ग्रेटर (बृहत्तर) कोहिमा योजना क्षेत्र की आबादी 1.15 लाख थी। के.एम.सी. की आबादी वृद्धि दर 1991-2001 के दौरान 5.28% थी किन्तु ग्रेटर कोहिमा योजना क्षेत्र की आबादी वृद्धि दर का उल्लेख नहीं है।

कोहिमा नगर परिषद

ग्रेटर कोहिमा प्लान एरिया (जी.के.पी.ए) की जनसंख्या वृद्धि दर सुलभ नहीं है। खंड 3.5 (जनसंख्या प्रायोजन) में बताया गया है कि जी.के.पी.ए. की जनसंख्या वृद्धि दर 2011 तक 2.1% वार्षिक और तदनंतर 2041 तक 1.7% वार्षिक होगी।

शहरी संवृद्धि प्रबंधनः भावी संवृद्धि (विकास) की बाधाओं (दबावों) का उल्लेख खण्ड 4.3 में पृष्ठ 43 पर है। प्रदत्त सूचना का अनुपूरण एक मानचित्र द्वारा किया गया है, जिसमें संघटित रूप से आबाद अनुवर्ती क्षेत्र दर्शाए गए हैं। पारिस्थिकी प्रवण क्षेत्र हैं- भूस्खलन प्रवण क्षेत्र (चित्र 7.4), क्षेत्रीय भूकम्प प्रवण जोन (चित्र 9.3), भौगोलिक रूप से नाजुक तथा विवर्त्तनीय रूप से सक्रिय क्षेत्र (चित्र 9.4), बी.सी.पी.पी. प्राथमिकता स्थल (चित्र 9.6)। पृष्ठ 8.8 पर नगालैंड के शहरी विकास विभाग द्वारा

तैयार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) के भूस्खलन जोखिम के अनुक्षेत्र का वर्गीकरण किया गया है। पृष्ठ 9.6 पर सी.डी.पी. में वर्णन है कि कोहिमा विश्वविख्यात 'पूर्वी हिमालय जैव विविधता गर्म स्थल क्षेत्र' के विस्तार क्षेत्रों के अन्तर्गत आता है। पृष्ठ 9-12 पर रिपोर्ट में कहा गया है कि 'राज्य की जैव विविधता कार्य योजना में खोनोमा गांव का उल्लेख है' जो मास्टर प्लान एरिया के बाहर संरक्षित गर्म स्थल का गांव है। बताया गया है कि वह गांव शहर के लिए निर्धारित विकास दिशा के साथ अवस्थित है, अतः खोनोमा गांव के संरक्षण के लिए यथोचित संयम-संतुलन बरतना जरूरी है। इन सभी बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

कोहिमा नगर परिषद
नक्शा तैयार करके संलग्न कर दिया गया है ।
ग्रेटर कोहिमा योजना क्षेत्र का मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है । खोनोमा गांव को यथावत बनाये रखने के लिये मास्टर प्लान तैयारी के भाग स्वरूप समुचित भू-उपयोग जोनिंग का निरूपण किया जा रहा है । यों, खोनोमा गांव कोहिमा कस्बे से 20 किलोमीटर की दूरी पर है ।

भू-उपयोगः कोहिमा मास्टर प्लान क्षेत्र के वर्तमान भू-उपयोग का उल्लेख तालिका 4.1 में है। भू-उपयोग में परिवर्तन का कोई जिक्र नहीं है। चित्र 4.1 में कोहिमा का वर्तमान भू-उपयोग वर्ष 2005 का है। तालिका 4.1 के लिए पूरक नक्शे का होना जरूरी है। भू-उपयोग में परिवर्तनों का भी उल्लेख किया जाना चाहिए।

चित्र 7.4 में ग्रेटर कोहिमा में योजना क्षेत्र के भूस्खलन क्षेत्र दर्शाए गये हैं। यह चित्र भू-उपयोग नक्शे पर अंकित किया जाना चाहिए, जिसमें सड़कों, जलाशयों, नालों आदि का भी निरूपण किया गया हो, अन्यथा नक्शा आसानी से समझने योग्य नहीं होगा।

कोहिमा नगर परिषद
केवल 1974 का भू-उपयोग सुलभ है । नक्शा बनाकर संलग्न कर दिया गया है ।

इन्फ्रास्ट्रक्चर (आधार संरचनाओं) के अभावों और अपेक्षाओं को भलीभांति सम्बद्ध करके दर्शाया गया है। रिपोर्ट के अनुसार कोहिमा की 50% आबादी केन्द्रीय रूप से सुलभ जल आपूर्ति पर निर्भर है तथा केवल करीब 51% लोगों के घरों में टेप-नल हैं। शेष आबादी अपने निजी जल स्रोतों अर्थात झरनों, जलधाराओं व सामुदायिक कुओं से गुजर-बसर करती है। मांग और पूर्ति का अन्तर 1.5 मि.लीटर दैनिक की बजाए काफी बड़ा अर्थात 9.4 मि.लीटर दैनिक है। रिपोर्ट के अनुसार 'जुकोऊ नदी के साथ जूना नदी के पानी से मास्टर प्लान अवधि में' मांग को पूरा किया जा सकेगा। किन्तु यह स्पष्ट नहीं है कि मास्टर प्लान की अवधि कितनी है।

कोहिमा नगर परिषद
मास्टर प्लान की अवधि, परियोजना के लक्षित कार्यकाल अर्थात परियोजना कार्यान्वयन के समापन से, 30 वर्ष अर्थात् 2011-2041 है ।

कचरा निपटान व्यवस्थाः पृष्ठ 7-5 (खंड 7.4) पर रिपोर्ट में उल्लेख है कि कचरा उत्पादन करीब 54 मि.टन दैनिक है। तालिका 7.6 के अनुसार कुल कचरा उत्पादन 35 टन दैनिक है। पृष्ठ 7-17, तालिका 7-18, पर ग्रेटर कोहिमा प्लान एरिया बाबत कचरा उत्पादन के प्रायोजन में वर्ष 2006 में कचरा उत्पादन करीब 54 मि.टन दैनिक लिखा है, इस विसंगति को स्पष्ट किया जाए।

कोहिमा नगर परिषद
तालिका 7-6 में ग्रेटर कोहिमा योजना क्षेत्र की वर्त्तमान कचरा निपटान की विशेष बातों का जिक्र है तथा 35 मि.टन दैनिक संख्या ग्रेटर कोहिमा योजना क्षेत्र से उठाये गये कुल कचरे की है, वहाँ उत्पादित कुल कचरे की नहीं, जैसा कि पहले दरसाया गया था। तालिका 7-18, में वर्ष 2006 को आधार वर्ष मान कर ग्रेटर कोहिमा योजना क्षेत्र में कचरे के प्रायोजन दर्शाए गये हैं।

नगर शासन और संस्थायी ढांचाः रिपोर्ट के अनुसार कोहिमा म्यूनिसिपल काउंसिल (के.एम.सी.) का गठन अभी हाल में अर्थात वर्ष 2005 में हुआ है और उसकी सीमित कार्य भूमिका है। विभिन्न सेक्टरों में से केवल सफाई (अपजल निकासी), कचरा निपटान प्रबंधन तथा सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालयों का प्रबंध ही कोहिमा नगर परिषद के पास है । पृष्ठ 11.2 की तालिका 11.1 में विभिन्न विभागों द्वारा प्रदत्त सेवाओं/कार्यों की रूपरेखा दी गई है । पृष्ठ 11.5 पर रिपोर्ट बताती है कि "सरकार द्वारा के.एम.सी. को कार्यों, स्टाफ व अन्य संसाधनों का आंबटन करके अभी सक्रिय बनाया जाना है। किन्तु म्यूनिसिपल एक्ट 2001 के पूर्व संशोधनों में संविधान के भाग IXए के अनिवार्य प्रावधानों को शामिल किये जाने की जरूरत है। कार्यों के अंतरण और स्टाफ की भर्ती में कुछ समय लगेगा"। उपर्युक्त कथनों के आलोक में यह स्पष्ट नहीं है कि संविधान संशोधन अधिनियम की 12वीं अनुसूची में उल्लिखित कार्य किस सीमा तक के.एम.सी. को सौंपे जाएंगे तथा कब और कैसे सौंपे जाएंगे?

कोहिमा नगर परिषद्
समझौता ज्ञापन में उल्लेख किया गया है, जिसे शीघ्र भारत सरकार को प्रस्तुत किया जा रहा है।

पृष्ठ 11.2 की तालिका 11.1 के अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्गों के डिजाइन, निर्माण और अनुरक्षण के लिए सीमा सड़क संगठन जिम्मेदार है। लेकिन परिवहन नेटवर्क - अन्य घटतर स्तर के मार्गों, सोपानों, पैदल पथों आदि के लिए कौन जिम्मेदार है, क्या राज्य लोक निर्माण विभाग जिम्मेदार है?

कोहिमा नगर परिषद
जहाँ राज्य का लोक निर्माण विभाग अन्य शहरी सड़कों (मार्गों) के लिये जिम्मेदार है, वहीं पैदलपथों व सीढ़ी दार पथों के डिजाइन और निर्माण के लिये आज तक शहरी विकास विभाग जिम्मेदार है । यही नहीं, कुछ बस्तियों में वहाँ के वाशिन्दों ने स्वयं ही जरूरत के अनुसार सीढ़ीदार पथ बना लिये हैं।

संकल्पना, मुद्दों का प्राथमिकताक्रम निर्धारण तथा कार्य नीतियां

नगर के नागरिक कोहिमा को 2021 तक एक सुशासित-अनुशासित, आर्थिक रूप से जीवंत, पर्यावरण की दृष्टि से सम्पन्न शहर बनाना चाहते हैं, जिसमें सभी के लिए बुनियादी सेवाऐं उपलब्ध हों। सेक्टर-वार संकल्पना रिपोर्ट के पृष्ठ 15-3 पर है।

हितबद्ध पक्षों से विचार विमर्शः हितबद्ध पक्षों को प्राथमिक और प्रतिनिधि (प्रायमरी व सेकंडरी) हितबद्ध पक्षों में बांटा गया है। प्राथमिक हितबद्ध पक्षों के अन्तर्गत सामुदायिक समूह (वार्ड-वार), महिला-स्वयं सहायता समूह, गैर सरकारी संगठन तथा समुदाय सर्जक संगठन आते हैं। प्रतिनिधि हितबद्ध पक्षों के अन्तर्गत निर्वाचित जन प्रतिनिधि तथा सरकारी पदाधिकारी आते हैं। कुल 7 प्रतिनिधि परामर्श बैठकें हुई। नगर विकास योजना के अन्तर्गत पूरे समुदाय को विश्वास में लेने का सुयशपूर्ण कार्य किया गया और तदनंतर सेक्टर-वार आधार संरचना मुद्दों का निर्धारण किया गया तथा प्राथमिकता क्रम तय किया गया। किन्तु पृष्ठ 14-2 पर खंड 14.2 में बताया गया है कि "कोहिमा म्यूनिसिपल काउंसिल के निर्वाचित पार्षदों द्वारा मुद्दों का प्राथमिकता निर्धारण अपूर्ण प्रतीत होता है।" इस बाबत जो नक्शे (चित्र 12-2 से 12-9) तैयार किये गये वे भी स्पष्ट नहीं हैं।

कोहिमा नगर परिषद
गायब पैरा संलग्न है । (संशोधित सी डी पी में पृष्ठ 14-2 से 14-5) । बड़े ए-3 आकार के नक्शे संलग्न हैं।

पृष्ठ 16-7 की तालिका 16.2 पर रिपोर्ट में जल आपूर्ति बाबत विभिन्न परियोजना घटकों का सारांश है। 2041 तक पूर्ण व्याप्ति (कवरेज) के कालम में 70 संख्या लिखी है। इसके विभाजन में 70 का जुकोऊ जल आपूर्ति परियोजना के अन्तर्गत तथा 26 का राष्ट्रीय नगर कायाकल्प अभियान के अन्तर्गत कार्यान्वयन लिखा गया है। यूनिट और संख्या का स्पष्टीकरण किया जाए।

शहरी गरीबः नगर विकास योजना के अध्याय 6 में कोहिमा के शहरी गरीबों का वर्णन है। इस वर्णन में गरीबी रेखा से नीचे की आबादी, स्लम आबादी आकलन, स्लम क्षेत्रों के खाकों, स्लम सुधार परियोजनाओं, गरीबी उपशमन कार्यक्रमों की समीक्षा, घटिया आवासों के क्षेत्रों का विस्तार से उल्लेख है। योजना के अनुसार कोहिमा शहर की 24% आबादी गरीबी रेखा से नीचे की है किन्तु इस संख्या का वर्ष और स्रोत नहीं बताया गया है। रिपोर्ट में पृष्ठ 6-7 पर उल्लेख है कि कोहिमा की 26% आबादी कच्ची-बस्तियों (स्लमों) में रहती है तथा स्लम क्षेत्रों में बसी गरीबी रेखा से नीचे की आबादी कुल गरीबी रेखा से नीचे की आबादी का 34.2% है। गरीबी से जुड़े मुद्दों की व्याख्या करते समय रिपोर्टों में कहा गया है कि सन् 1989 से गरीबी निवारण कार्यक्रमों से अब तक केवल 9% गरीबों को ही लाभ पहुँचा है।

पृष्ठ 16-37 पर तालिका 16.24 में, कोहिमा शहर के 4 निर्धारित स्लम स्थलों पर स्लम सुधार हेतु पूंजी निवेश बताया गया है। इस तालिका के अनुसार कुल 56.31 मिलियन रू0 का निवेश किया गया किन्तु शहरी कायाकल्प अभियान के 2 उप अभियानों के अन्तर्गत कुल अनुमानित धन आवश्यकता बाबत तालिका 16.30 पर, शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाओं (बीएसयूपी) के अन्तर्गत 2583.15 लाख

रूपये की राशि लिखी गई है। इसका स्पष्टीकरण किया जाए। यदि यह धनराशि पूर्वोत्तर क्षेत्र के शहरी विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत मांगी गई है तो उसका खुलासा किया जाए।

कोहिमा नगर परिषद
नागालैंड सरकार के राज्य शहरी विकास प्रधिकरण ने सन 2004 में कोहिमा के 100 प्रतिशत परिवारों का घर-घर जाकर सर्वे किया था। सर्वे द्वारा 24 प्रतिशत परिवारों को गरीबी रेखा से नीचे पाया गया।

स्लम बस्तियों का निर्धारण कुछ मानदंडों, जिनमें शहरी बुनियादी सेवाओं की प्राप्ति में कमी, गरीबी रेखा से नीचे की आबादी की बहुलता आदि मानक शामिल हैं, के आधार पर किया गया है । साथ ही स्लमों का सह-समापन वार्डों के साथ किया गया है । स्लम क्षेत्रों की पूरी आबादी गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की नहीं है । इसलिए स्लम आबादी और बी पी एल आबादी का प्रतिशत अलग-अलग है । गरीबी निवारण कार्यक्रमों में धन की कमी की पुष्टि इसी बात से हो जाती है कि अब तक केवल 9% गरीबों को ही सन् 1989 से जारी इस कार्यक्रम का लाभ मिला है ।

रिपोर्ट में पृष्ठ 15.1 पर लिखा है कि "नागालैंड सरकार की राज्य मानव संसाधन विकास रिपोर्ट 2004 में 2020 तक विकसित नागालैंड संकल्पना की एक भावी रूपरेखा दी गई है, जो परिशिष्ट 15.1 में है, लेकिन परिशिष्ट रिपोर्ट के साथ संलग्न नहीं है।

कोहिमा नगर परिषद
पृष्ठ 15-1 पर परिशिष्ट 15-1 को तालिका - 1 पढ़ा जाए, अनुलग्नक 15-1 नहीं ।

अध्याय 16 में, हर क्षेत्र में अपेक्षित कार्रवाई का उल्लेख है, जिसे बाद में पूर्वोत्तर क्षेत्र शहरी विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय शहरी कायाकल्प अभियान के अन्तर्गत की जाने वाली कार्रवाई के रूप में विभाजित किया गया है। काफी संख्या की कार्रवाई दोनों परियोजनाओं में समान है। अतः यह स्पष्ट किया जाए हर सेक्टर में किस प्रोजेक्ट का किस स्रोत से वित्त पोषण के लिए प्रस्ताव है।

प्रचलित वित्तीय विश्लेषण तथा वित्तीय प्रचालन योजना

नगर विकास योजना में कहा गया है कि "बढ़ते हुए राजकोषीय और राजस्व घाटों के आलोक में नागालैंड राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति शोचनीय है।" राज्य सरकार बामुश्किल 7% राजस्व जुटा पाती है तथा शेष राजस्व की प्राप्ति केन्द्र सरकार के राश्यांतरण से होती है। वस्तुतः वर्ष 2005-06 में रू02138 करोड़ रू. में केन्द्रीय राज्यांतरण के मुकाबले राज्य की निजी राजस्व आय केवल 170 करोड़ रू. थी। आगे कहा गया है कि "नागालैंड में शहरी स्थानीय निकाय न केवल अपने पूंजीगत खर्च के लिए अपितु आवर्त्ती खर्च के लिए भी धन जुटाने हेतु काफी हद तक राज्य सरकार पर निर्भर हैं।" इससे जाहिर है कि नागालैंड राज्य सरकार लगभग पूरी तरह केन्द्र सरकार से राज्यांतरण पर निर्भर है और उसी मात्रा

में शहरी स्थानीय निकाय राज्य सरकार पर निर्भर हैं। ऐसे हालात में सवाल उठता है कि राष्ट्रीय शहरी कायाकल्प अभियान के अन्तर्गत 10% वित्त की भी व्यवस्था राज्य सरकार कैसे कर पाएगी।

कोहिमा नगर परिषद

नागालैंड सरकार विभिन्न संस्थाई और वित्तीय सुधार लागू करने के लिये वचनबद्ध है । राज्य से अपेक्षित 10 प्रतिशत राशि राज्य योजना से होगी । फिर, इन सुधारों से शहरी स्थानीय निकायों तथा समान संगठनों की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा।

नगर विकास योजना के खंड 10.5 में कहा गया है कि "कोहिमा नगर परिषद के राजस्व में निजी स्रोतों से आय के अलावा केन्द्र और राज्य सरकारों से प्राप्त अनुदान शामिल होता है"। लेकिन संबंधित तालिका (तालिका 10.6) में इन अनुदानों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। उसमें केवल नगर परिषद की निजी करों और गैर करों से आय का उल्लेख है।

अब व्यय की बात लें। तालिका 10.7 में केवल कोहिमा नगर परिषद बाबत ब्यौरा है, जिसमें स्थापना कार्यों तथा छोटे-मोटे कामों, निर्माण, अनुरक्षण के खर्चे शामिल हैं। इस परिषद का वित्तीय आधार अत्यंत संकीर्ण है, जिसमें कचरा निपटान व्यवस्था, सार्वजनिक शौचालयों का रखरखाव तथा सफाई (गन्दे पानी की निकासी) का समावेश है। अन्य कार्य राज्य सरकार के अनेक विभागों, यथा लोकस्वास्थ्य इंजीनियरी विभाग, लोक निर्माण विभाग आदि द्वारा किए जाते हैं, लेकिन खर्च के ब्यौरों में पूरी स्थिति साफ नहीं की गई है अर्थात् कोहिमा नगर परिषद क्षेत्र में प्रदत्त सभी सेवाओं पर कुल कितना खर्च हुआ, इसका उल्लेख नहीं है।

आगे, तालिका 10.2 में "नागालैंड के सकल सरकारी व्यय - 2000-01 के विन्यास रूझान" हैं। इसमें शहरी इलाकों में व्यय स्तर पर आंशिक ब्यौरे हैं। चूंकि सी.डी.पी. में योजना के व्यवसायिक प्रयोजन से ग्रेटर कोहिमा योजना क्षेत्र (जीकेपीए) को एक यूनिट माना गया है, अतः सामान्यतः समूचे नागालैंड के शहरी क्षेत्रों में और विशेषतया कोहिमा नगर परिषद तथा ग्रेटर कोहिमा प्लान एरिया में सुलभ विभिन्न सेवाओं में व्यय के स्तर को दर्शाया जाए।

पृष्ठ 17-4 तालिका 17-4 में कोहिमा सिटी हेतु संस्थाई धन व्यवस्था पद्धति दी गई है। इसकी पृष्ठ भूमि स्वरूप, न केवल कोहिमा नगर परिषद अपितु अन्य विभिन्न सेवा प्रदाता समान विभागों के बारे में वित्तीय परिचालन कार्यक्रम (एफओपी) दिया जाना चाहिए।

वित्तीय परिचालन कार्यक्रम (एफओपी) के संदर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि ग्रेटर कोहिमा योजना अथारिटी के लिए निवेश राशि की आवश्यकता का भी उल्लेख किया गया है, जबकि एफओपी केवल कोहिमा नगर परिषद बाबत है।

नगर विकास योजना के अनुलग्नक 17.7 से 17.12 गायब है जो वस्तुतः एफओपी के परिकलन और पूर्वानुमान देने वाले माने जा सकते थे।

नगर विकास योजना का अनुमोदन निम्नलिखित मुद्दों के समाधान के बाद ही किया जाएगाः-

1. नगर विकास योजना में कई नक्शे दिए गए हैं, किंतु वे पठनीय और स्पष्ट नहीं है। लघु पैमाने के नक्शे (ए-3) अधिक स्पष्टता के साथ संलग्न किए जाएं। जहाँ ए-3 नक्शे स्पष्टता के साथ नहीं बनाए जा सकते, वहाँ क्षेत्र को ज़ोनों में बांट कर ज़ोनल नक्शे पूरे स्पष्टीकरण या सुलेख के साथ इस्तेमाल किए जा सकते हैं।

कोहिमा नगर परिषद : नक्शों के तीन सेट (ए-3 आकार) संलग्न हैं ।

2. पूर्वोत्तर क्षेत्र शहरी विकास कार्यक्रम के ब्यौरे नगर विकास योजना के साथ संलग्न किए जाएं। इससे कोहिमा के शहरी विकास की तसवीर उजागर होगी।

कोहिमा नगर परिषद : इस शहरी कायाकल्प अभियान के परियोजना घटकों के ब्यौरे अनुलग्नक-7 में हैं। अभियान की परियोजनाओं का कार्यान्वयन शुरू नहीं हुआ है। एक तालिका संलग्न है, जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र शहरी विकास कार्यकम व शहरी कायाकल्प अभियान की परियोजनाओं की सूची है।

3. पूर्वोत्तर क्षेत्र शहरी विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय शहरी कायाकल्प अभियान के अन्तर्गत अपेक्षित धनराशि के सेक्टर-वार ब्यौरे दिए जाएं।

कोहिमा नगर परिषद : अनुलग्नक 4 देखें।

4. ग्रेटर कोहिमा योजना क्षेत्र की जनसंख्या वृद्धि बताई जाए।

कोहिमा नगर परिषद : वृहत्तर कोहिमा योजना क्षेत्र का अलग सीमांकन सन् 2001 में हुआ था, अतः उसकी आबादी में वृद्धि का कोई रिकार्ड नहीं है । उपशीर्ष जनसंख्या प्रायोजन के तहत 3.5 में बताया गया है कि जनसंख्या वृद्धि दर वर्ष 2011 तक 2.1 प्रतिशत वार्षिक रहेगी तथा वर्ष 2041 तक 1.7 प्रतिशत वार्षिक रहेगी ।

5. मास्टर प्लान क्षेत्र का नक्शा और उसके साथ भूत-वर्तमान-भविष्य का भू-उपयोग दिया जाए।

कोहिमा नगर परिषद : भू-उपयोग मानचित्र 2001 हमारे पास नहीं है ।

6. उन क्षेत्रों को समाहित करने वाले भावी विकास की बाधाओं का खाका दिया जाए जहाँ विभिन्न कारणों से विकास नहीं हो सकता।

कोहिमा नगर परिषद : मानचित्र संलग्न है।

7. नगर में उत्पादित कूड़ा कचरे की सही मात्रा बताई जाए।

कोहिमा नगर परिषद : 35 मि. टन दैनिक।

8. संविधान संशोधन अधिनियम की 12वीं अनुसूची में सूचीबद्ध कार्यों को कोहिमा नगर परिषद के प्रसंग में किस सीमा तक, कब और कैसे हस्तांतरित किया जाएगा।

कोहिमा नगर परिषद : नक्शा संलग्न है ।

9. शहरी गरीबों के लिए अपेक्षित धनराशि के सही आंकड़े परियोजनाओं के साथ दिए जाएं।

कोहिमा नगर परिषद : अनुलग्नक - 1 देखें ।

10. राज्य सरकार की केन्द्रीय अनुदानों पर, अत्यधिक निर्भरता के आलोक में, राज्य सरकार द्वारा वहन की जाने वाले 10% राशि की व्यवस्था कैसे होगी, यह बताया जाए।

कोहिमा नगर परिषद : अनुलग्नक - 3 देखें ।

11. शहरी बुनियादी सेवाओं के वित्त पोषण हेतु अपेक्षित केन्द्रीय और राज्य सरकारी अनुदान की राशि बताई जाए। साथ ही, विभिन्न संबंधित विभागों द्वारा कोहिमा नगर परिषद क्षेत्र में सभी सेवाओं पर खर्च के बारे में जानकारी दी जाए।

12. राज्य सरकार द्वारा सामान्यतः नागालैंड के शहरी क्षेत्र में तथा विशेषतया कोहिमा नगर परिषद व ग्रेटर कोहिमा योजना क्षेत्रों में विभिन्न सेवाओं पर खर्च का स्तर बताया जाए।

13. कोहिमा नगर परिषद तथा अन्य विभिन्न सेवा प्रदाता समान विभागों के बारे में समेकित वित्तीय परिचालन कार्यक्रम (एफओपी) का उल्लेख किया जाए। विभिन्न समान संगठनों में से प्रत्येक के उपयोग हेतु मांगी गई धन राशि का कैसे उपयोग किया जाएगा उसके बारे में कार्यवार और घटक वार विवरण दिया जाए ।

कोहिमा नगर परिषद : अनुलग्नक - 5 देखें ।

14. अनुलग्नक 17.7 से 17.12 संलग्न किए जाएं जिनमें एफओपी परिकलन और पूर्वानुमानों के ब्यौरे दिए जाने की अपेक्षा की जाती है।

कोहिमा नगर परिषद : अनुलग्नक - 6 देखें ।

राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान की टिप्पणी :

जहाँ कुछ सवालों का संतोषजनक जवाब दिया गया है (पूर्व पृष्ठों पर दिये गये उत्तर के अनुसार), वहीं हमारी कुछ चिन्ताएँ अभी भी बरकरार हैं । संस्थान के बड़े सवाल संक्षेप में इस प्रकार हैं :

सी डी पी में करीब 1000 करोड़ रू0 के पूंजीनिवेश का प्रस्ताव है । यह उन करीब 200 करोड़ रू0 के अतिरिक्त है, जो एशियाई विकास बैंक वित्त पोषित परियोजना के अन्तर्गत दी जाएगी। इसका मतलब यह है कि कोहिमा (वर्त्तमान आबादी करीब 1,30,000) में करीब 25,000 परिवारों को सी डी पी के अनुसार, करीब 1200 करोड़ रू0 की पूंजी निवेश परियोजनाओं का लाभ मिलेगा। यह प्रति परिवार करीब 4.80 लाख रू0 बैठता है । यह उन अन्य नगरों द्वारा अपनी-अपनी सी डी पी में प्रस्तावित राशि से काफी अधिक है, जिसका रा. नगर कार्य संस्थान ने मूल्यांकन किया है। यही नहीं, कोहिमा के लिये पूंजी निवेश की 90 प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार को मुहैया करनी होगी। जैसा कि सर्वविदित है राज्य की 92 प्रतिशत धन की जरूरत भी वार्षिक आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा सुलभ की जाती है।

मंत्रालय चाहेगा कि सी डी पी में प्राथमिकता प्राप्त परियोजनाओं के लिये विस्तृत परियोजना रिपोर्टों के मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान किया जाए। अस्तु विस्तृत परियोजना रिपोर्टों को मंजूर करते समय समस्त परियोजनाओं के ट्रैक रिकार्ड को हिसाब में लेना जरूरी होगा।

अन्य मुख्य मुद्दा कोहिमा के लिये म्यूनिसपल वित्त की दीर्घकालीन वित्तीय उपादेयता एवं परिचालन व अनुरक्षण लागत वसूली तथा हाथ में ली गयी परियोजनाओं के विस्थापन लागत व्यय का है। राष्ट्रीय शहरी कायाकल्प अभियान में प्रस्तावित करीब 1000 करोड़ रू0 की परियोजनाओं के लिये समापन वर्ष हेतु सी डी पी में अतिरिक्त परिचालन व अनुरक्षण लागत केवल 8 मिलियन (या 0.8 करोड़) रूपये रखी गई है। जाहिर है कि यह एकदम कम आकलन है, क्योंकि यदि इतनी बड़ी मात्रा में पूंजी निवेश किया जाता है तो परिचालन व अनुरक्षण लागत और विस्थापन लागत काफी अधिक बैठेगी।

चूंकि सी डी पी में कोहिमा हेतु उच्च पूंजी निवेश तथा परिचालन व अनुरक्षण राशि का प्रस्ताव है क्योंकि कोहिमा की नगर परिषद नयी है और वहाँ अपने नागरिकों से प्रयोक्ता प्रभार लेने की परम्परा नहीं है, अतः यदि इतनी अधिक राशि का निवेश किया जाता है तो कम से कम 50 प्रतिशत परिचालन व अनुरक्षण खर्च की वसूली का ध्यान रखना होगा। संक्षेप में सी डी पी की स्वीकृति का आशय यह नहीं है कि हर प्रस्तावित परियोजना मान ली गई है, वस्तुतः सी डी पी का अनुमोदन सदैव प्रत्येक परियोजना की डी पी आर की स्वीकृति पर निर्भर होता है।

उपर्युक्त आपत्तियों/अर्हताओं के आलोक में, अब यह सी डी पी शहरी कायाकल्प अभियान के टूलकिट-2 के अनुसार है ।